तत्काल जारी करने हेतु

एफएसएसएआई के सीईओ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और प्रवर्तन कार्रवाइयों को सक्रिय रूप से उजागर करने का आह्वान किया

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2025:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी **श्री रजित पुणहानी** ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे **खाद्य सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें** और **प्रत्येक पखवाड़े में इसकी समीक्षा** करें। श्री पुणहानी ने यह निर्देश **14 अक्टूबर 2025** को नई दिल्ली स्थित **एफडीए भवन** में आयोजित **केंद्रीय परामर्श समिति (CAC)** की **48वीं बैठक** को संबोधित करते हुए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के **खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (CFS)** को दिए।

एफएसएसएआई (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने कहा कि **खाद्य सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का उच्च प्राथमिकता के साथ निपटारा करना** उपभोक्ता विश्वास और जन-जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रतिबद्धता की निगरानी के लिए, सीईओ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे **शिकायत निवारण की स्थिति की प्रत्येक पखवाड़े में समीक्षा** करें।

इसके अलावा, **श्री पुणहानी** ने सभी **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** को निर्देश दिया कि वे **अपने प्रवर्तन कार्यों और नियमों का पालन न करने वाले खाद्य व्यवसायों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों** का विवरण **प्रतिदिन साझा करें**। उन्होंने कहा कि यह न केवल **उपभोक्ता विश्वास और जन-जागरूकता बढ़ाने** के लिए आवश्यक है, बल्कि **पूरे खाद्य सुरक्षा नेटवर्क में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने** के लिए भी महत्वपूर्ण है।

खाद्य सुरक्षा के वैज्ञानिक मानकों को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी एक अलग लेकिन संबंधित निर्देश में, **सीईओ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** को निर्देश दिया कि वे **स्थापित हाई-एंड उपकरणों (HEE)** का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करें और अपनी **खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल (NABL) मान्यता** प्राप्त करें। यह कदम देशभर में **खाद्य नमूनों की जांच में अधिक विश्वसनीयता, एकरूपता और वैज्ञानिक दृढ़ता** सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, बैठक में प्रमुख नियामक विषयों से संबंधित लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाओं एवं विनियमों को सरल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में डेटा-आधारित निर्णय लेने की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया और केंद्रीकृत निगरानी तंत्र पर विशेष जोर दिया गया। इसमें एफएसएसएआई और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वित संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके।

बैठक में **70 से अधिक अधिकारियों** ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें **खाद्य सुरक्षा आयुक्त (CFS)**, **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि**, **एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारी**, तथा **खाद्य उद्योग, कृषि क्षेत्र, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों** से जुड़े सदस्य शामिल थे।

***